

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) to (c). The requisite information regarding the film distributors who pay income-tax ranging from Rs. fifty thousands to one lakh can be collected only by a scrutiny of large number of assessment records which will involve considerable time and labour. If, however, the Honourable Member desires information about any particular Film Distributor(s), the same will be duly furnished.

12*47 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

INDIA'S REPORTED OFFER TO HELP AFGHANISTAN IN BUILDING A HIGHWAY THROUGH IRAN PROVIDING AN OUTLET TO ARABIAN SEA

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

“अफगानिस्तान से अरब सागर तक पहुँचने के लिए ईरान में से होकर एक राजपथ का निर्माण करने में भारत द्वारा की गई सहायता की पेशकश”

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): Afghanistan has developed a modern road network connecting Kabul with other important cities in Afghanistan as well as with Pakistan and Soviet Union. Urgent attention is now being given to the construction of a road from Kandhar to the Iranian border near Zahidan connecting it to the Zahidan-Bandar Abbas road in Iran. Construction of this road will not only provide Afghanistan with an additional access to sea but will also greatly assist in developing the economy of the region to be traversed by the road, particularly in the exploitation of the mineral wealth of this area. As this will be a shorter route to the sea, the opening of a road from Kandhar to Bandar Abbas, will result in savings on time and cost in the transport of goods exported from and imported into Afghanistan especially to and from West-ward destinations.

During the First Ministerial Meeting of the Joint Indo-Afghan Commission on Economic, Trade and Technical Cooperation held in New Delhi from 16th to 18th March, 1970, the Afghan side had referred to the importance Afghanistan attached to the Kandhar-Zahidan road and had expressed the hope that Indian side would extend cooperation in the implementation of this project. The Indian side had fully appreciated the importance of this road and expressed willingness to depute a team of Indian experts to examine, in consultation with Afghan experts and others, various issues connected with the implementation of this important project. A team of Indian experts will go to Afghanistan in due course.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य का स्वागत करता हूँ और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनके इस काम से भारत और अफगानिस्तान की मैत्री और बढ़ेगी। इतना ही नहीं अफगानिस्तान के साथ व्यापार और भी ज्यादा बढ़ेगा। अगर यह सड़क बन जाती है तो इरान के साथ, अफ्रीका के साथ और हमारे देश के साथ भी अफगानिस्तान का व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। अफगानिस्तान का जो आज पाकिस्तान पर डिपेंडेंस है वह भी इससे कम हो जाएगा और अफगानिस्तान के पास एक आल्टरनेटिव रूट और हो जाएगा।

मैं जानना चाहता हूँ कि इस सड़क के बारे में आप से उन्होंने केवल एक्सपर्ट एडवाइस मांगी है या कोई वित्तीय सहायता की भी आप से उन्होंने मांग की है ?

हमारी दोस्ती किसी देश के साथ होती है तो पाकिस्तान को तकलीफ होती है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि सड़क बने और यह भी नहीं चाहता कि हम और अफगानिस्तान नजदीक आएँ। क्या उसने इसके बारे में प्रोटोस्ट करना शुरू कर दिया है ? कई तरीकों से पाकिस्तान रोड़े अटका रहा है ताकि यह सड़क न बने।

अभी तक हमारे देश में अफगानिस्तान से फ्रेश फ्रुट्स केवल लैंड रूट से, यानी पाकिस्तान के रास्ते, आते रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ

[श्री कंवर लाल गुप्त]

भारत का व्यापार लैंड रूट से अर्थात् धरती पर से हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान अब अफ़ग़ानिस्तान को भारत के साथ व्यापार करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। वह कहता है कि ये दोनों समुद्र के रास्ते से अपना अपना सामान भेजे अगर फ़ेश फ़ूट्स को लैंड रूट से लाया जाये तो वे दो दिन में हुसैनी वाला पर हमारे देश में पहुंच जाते हैं। लेकिन कराची पोर्ट के रास्ते से सामान को लाने में चालीस दिन लग जाते हैं। हम को शिपिंग फ़ैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं और हमारा माल कराची पोर्ट पर पड़ा रहता है। भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच ट्रेड में यह एक बहुत बड़ा ब्लाकेड रुकावट है। इस सड़क के बन जाने से यह रुकावट दूर हो जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अफ़ग़ानिस्तान ने इस सड़क को बनाने के लिए भारत सरकार से फ़िनांशल हैल्प मांगी है; अगर हां, तो क्या भारत सरकार उस को वह फ़िनांशल हैल्प देगी या नहीं।

क्या यह सही है कि अफ़ग़ानिस्तान की सरकार ने एशियन डेवेलपमेंट बैंक से इस सड़क को बनाने के लिए पैसा मांगा था? उस बैंक में हमारे भी नुमायंदे हैं और पाकिस्तान के नुमायंदे भी हैं। मैं ने सुना है कि पाकिस्तान के नुमायंदे ने इस बात का विरोध किया कि अफ़ग़ानिस्तान को इस सड़क के लिए पैसा दिया जाये। क्या यह बात सही है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि बैंक में हमारे नुमायंदे ने इस बारे में क्या एटीट्यूड अपनाया और अगर अभी तक उन्होंने कोई राय जाहिर नहीं की, तो क्या सरकार उन को आदेश देगी कि वे अफ़ग़ानिस्तान को पैसा देने की हिमायत करें?

क्या यह सही है कि पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करते हुए यहां तक कहा है कि इस सड़क को बनाने के पीछे एक कान्स्पिरेसी है, जो भारत और अफ़ग़ानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ़ की जा रही है?

हो सकता है कि इस सड़क को बनाने के लिए सहायता देने के बारे में पाकिस्तान का भारत पर, और अफ़ग़ानिस्तान पर भी, प्रेशर पड़े। क्या मंत्री महोदय सदन को यह विश्वास दिलायेंगे कि भारत सरकार पाकिस्तान के प्रेशर को नहीं मानेगी और वह ऐसे कदम उठायेगी कि अफ़ग़ानिस्तान भी उस के प्रेशर को न माने?

इस सड़क का रूस से भी सम्बन्ध होगा। क्या रूस की इस बारे में कुछ दिलचस्पी है; अगर है, तो क्या और किधर? इस सड़क के बारे में रूस की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य ने अपने सवाल के अन्तर्गत कई सवाल पूछे हैं। मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि अफ़ग़ानिस्तान ने हम से किस किस्म की सहायता मांगी है। वैसे तो अफ़ग़ानिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारा प्रयत्न है कि हम विभिन्न मामलों में उस की काफ़ी मदद करें, लेकिन इस प्राजेक्ट के लिए उस ने कोई फ़िनांशल एसिस्टेंस नहीं मांगी है उसने हमसे एक्सपर्ट एडवाइस उपलब्ध करने के लिए कहा है। उस ने हम से यह सहायता मांगी है कि हम एक एक्सपर्ट टीम भेजें, जो सर्वे वगैरह की एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करे। मैं ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम ने इस बात को मन्ज़ूर कर लिया है कि हमारी एक्सपर्ट टीम वहां जाये और इस सड़क के बारे में विभिन्न मामलों पर बातचीत कर के रिपोर्ट दे।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस सड़क से कितना फ़ायदा होगा। जाहिर है कि इस नये रूट से हमारे लिए भी और अफ़ग़ानिस्तान के लिए भी बहुत से फ़ायदे होंगे। यह सही है कि इस वक्त हमारा जो माल अफ़ग़ानिस्तान जाता है, या उस का जो माल यह आता है, उस के पहुंचने में बहुत देर हो जाती

है। वह माल कराची पोर्ट पर पड़ा रहता है। हो सकता है कि इस नये रूट से दोनों देशों में माल जल्दी आना जाना शुरू हो जाये।

माननीय सदस्य ने इस बारे में पाकिस्तान द्वारा कुछ रोड़े अटकाये जाने की बात कही है। हमें इस बारे में पाकिस्तान का आफिशियल रीएक्शन मालूम नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि वहां के कुछ अखबारों में जो आटि-कल छपे हैं, उन से जाहिर होता है की इस बात से वहां के लोगों और गवर्नमेंट के दिल में चिन्ता पैदा हुई है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यह प्रोजेक्ट ट्रांसिट ट्रेड के बारे में पाकिस्तान की अब तक की गलत पालिसी का दुष्परिणाम है।

हमें मालूम हुआ है कि अफगानिस्तान इस सड़क के बनाने के लिए एशियन डेवेलपमेंट बैंक से फिनांशियल एसिस्टेंट मांग रहा है। लेकिन हम यह बात सही तीरके से नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के डायरेक्टर्स ने उस की मुखालिफत की है। जहां तक हमरा सवाल है, हम इस बारे में अफगानिस्तान की बात से सहमत हैं और हमारे डायरेक्टर्स का यही खूब है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं ने पूछा है कि इस बारे में रशा की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस में रशा की दिलचस्पी है या नहीं। क्या भारत सरकार पाकिस्तान से प्रेशराइज तो नहीं होगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमारे ऊपर अफगानिस्तान का प्रेशर पड़ने का सवाल ही नहीं है। हम वही काम करेंगे, जो हमारे और अफगानिस्तान के हित में है। जहां तक रूस का सम्बन्ध है, रूस इस की मुखालिफत क्यों करेगा ?

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I want to raise a point (*Interruption*) I am submitting only one thing. Today, in the newspapers—

8—3 L. S./70

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is it that you want to say, Mr. Banerjee?

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, I only want to invite your attention to the editorial of the *Statesman* today, where it is said that two judges of the Supreme Court against whom there was a move for impeachment, have offered to resign or retire. (*Interruption*) I want to know only one thing : whether the Chief Justice has written to this effect to the Government. (*Interruption*).

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

SHRI KANWAR LAL GUPTA: It is a serious move against the Supreme Court judges. We want to oppose it. This is mysterious move by Shri Banerjee against the Supreme Court judges. We want to oppose it. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: If all of you speak at once, what can I do?

SHRI SHEO NARAIN (Basti): It must be expunged.

SHRI PILLOO MODY (Godhra): I would like you to look at the same clock which you did earlier and adjourn the House for lunch.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Many hon. Members, on the pretext of raising point of order, suddenly get up and raise so many other points. It is expected that they do not refer to any controversial issues.

श्री कंवर लाल गुप्त : इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजिज के खिलाफ एक कैम्पेयन चला रखा है। ये लोग अपने प्रिविलेजिज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। हम इस की इजाजत नहीं देंगे।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : ब्वाह-म-ब्वाह पालियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में कान्ट्रो-वर्सी को बढ़ाया जा रहा है।

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begusarai): The question is whether the Government has declined the offer of the Supreme Court judges to resign. We do not want to discuss the conduct of the judges. (*Interruption*)

SEVERAL HON. MEMBERS *rose—*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be taken down. (*Interruptions*) **

Mr. Banerjee, I appeal to you to kindly desist; nothing is being taken down.

Now, papers to be laid on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

CODE FOR BROADCAST ON AIR BY INDIVIDUALS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : On behalf of Shri Satya Narain Sinha, I beg to lay on the Table a copy of the Code for broadcasts on All India Radio by individuals (Hindi version). [*Placed in Library. See No. LT-3091/70.*]

PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION) ORDER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN) : I beg to lay on the Table a copy of Petroleum Products (Maintenance of Production) Order, 1970, published in Notification No. S. O. 1100 in Gazette of India, dated the 18th March, 1970, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See No. LT-3092/70.*]

DRUGS AND COSMETICS (FIRST AMENDMENT) RULES

SHRI D. R. CHAVAN: On behalf of Shri B. S. Murthy, I beg to lay on the Table a copy of the Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, 1970, published in Notification No. S. O. 642 in Gazette of India, dated the 21st February, 1970, under section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940. [*Placed in Library. See No. LT-3093/70.*]

ASSAM REORGANISATION (MEGHALAYA) DISTRIBUTION OF REVENUES ORDER, 1970 AND NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962, ETC.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU

RAMAIAH) : On behalf of Shri P. C. Sethi I beg to lay on the Table—

- (1) A copy of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Distribution of Revenues Order, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. C. S. R. 585 in Gazette of India, dated the 2nd April, 1970, under sub-section (2) of section 56 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969. [*Placed in Library. See No. LT-3094/70.*]
- (2) A copy of Notification No. G.S.R. 489 (Hindi and English versions) published in Gazette of India, dated the 19th March, 1970, under section 159 of the Customs Act, 1962, together with an explanatory memorandum. [*Placed in Library. See No. LT-3095/70.*]
- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944:—
 - (i) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Twelfth Amendment Rules 1970, published in Notification No. G. S. R. 441 in Gazette of India, dated the 14th March 1970.
 - (ii) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirteenth Amendment Rules 1970, published in Notification No. G. S. R. 487 in Gazette of India, dated the 21st March, 1970 [*Placed in Library. See No. LT 3096/70.*]
- (4) A copy of the Tax Credit Certificate (Equity Shares) (Amendment) Scheme 1970 (Hindi and English versions), published in Notification No. G.S.R. 492 in Gazette of India, dated the 21st March, 1970, under sub-section (4) of section 280ZE of the Income-tax Act, 1961. [*Placed in Library. See No. LT-3097/70.*]
- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under the Central Excise Rules, 1944:—
 - (i) G. S. R. 488 published in Gazette of India, dated the 21st March 1970 together with an explanatory memorandum.